दक्षिण एशियाई एकीकरण का सशक्तिकरण

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) से संबंधित है।

द हिन्दू

लेखक- आदित्य वलियाथन पिल्लई (वरिष्ठ शोधकर्ता, जलवायु, ऊर्जा और पर्यावरण, नीति अनुसंधान केंद्र)

03 जनवरी, 2019

"नया विद्युत दिशानिर्देश एक सच्चे क्षेत्रीय बाजार बनाने की दिशा में पहला कदम है।"

18 दिसंबर को, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक आवश्यक पीड़ानाशक ज्ञापन जारी किया, जो पूरे दक्षिण एशियाई सीमाओं पर विद्युत प्रवाह के नियमों को निर्धारित करता है। इस मुद्दे के इर्द-गिर्द अशांत राजनीति के खिलाफ मूल्यांकन, नए दिशानिर्देश भारत के पिछले रुख के संदर्भ में चौंकाने वाले प्रतीत होते हैं। क्षेत्रीय साजिश और अविश्वास के माहौल में, यह राजनीतिक व्यावहारिकता का एक दुर्लभ और हालिया उदाहरण है। यह केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यह दक्षिण एशियाई बिजली व्यापार को प्रगतिशील दिशाओं में ले जाता है, बल्कि इसलिए भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक और आर्थिक महत्त्व के क्षेत्र में भारत के पड़ोसी देशों के लिए एक रियायत भी है।

कार्यप्रणाली में सुधार

किया गया यह संशोधन पड़ोसियों द्वारा, विशेष रूप से भूटान और नेपाल द्वारा, वर्ष 2016 में भारत द्वारा लगाए गए व्यापार अवरोधों को हटाने के लिए दो साल के गहन दबाव की प्रतिक्रिया है। नए दिशानिर्देश उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करते हैं, जो कि भूटान के नए प्रधानमंत्री की यात्रा के साथ जुड़ा हुआ प्रतीत होता है। इसके साथ भारत ने यह संकेत दिया है कि वह यह उन मुद्दों पर पड़ोसियों के साथ काम करने के लिए गंभीर है जो 21वीं सदी के दक्षिण एशियाई क्षेत्रवाद के लिए महत्त्वपूर्ण है, जैसे कि विद्युत व्यापार।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) देशों को सीमा पार ऊर्जा प्रवाह के साथ एक साथ बांधने का विचार, जो 2000 के दशक की शुरुआत में थोड़ा रुक सा गया था, भारत और भूटान (2006) और बांग्लादेश (2010) के बीच पर्याप्त ऊर्जा व्यापार समझौतों के साथ शुरू हुआ। ये हाल ही में उदारीकृत अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए भारत की सस्ती बिजली की आवश्यकता से प्रेरित थे।

इस संदर्भ में सबसे बेहतर उदाहरण ऊर्जा सहयोग के लिए सार्क फ्रेमवर्क समझौते और त्वरित उत्तराधिकार में भारत-नेपाल पावर ट्रेड समझौते पर हस्ताक्षर करना है। नई दिल्ली में नई सरकार क्षेत्रीय सहयोग के लिए उत्सुक थी और इन समझौतों ने व्यापार पर कुछ प्रतिबंध लगाए। इसलिए इसके बजाए इन्हें एक संस्थागत संरचना की रूपरेखा रखनी चाहिए थी जिससे निजी क्षेत्र की भागीदारी और बिजली के वाणिज्य में बाजार की तर्कसंगतता की सुविधा प्रदान होती। उस वर्ष के पांचवें

सार्क ऊर्जा मंत्रियों की बैठक में, ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने अगले कुछ वर्षों के भीतर 'सार्क पावर ग्रिड' का सपना देखा है और पाकिस्तान या नेपाल को विद्युत प्रदान करने के लिए श्रीलंका की तटीय सीमाओं में अपतटीय पवन परियोजनाओं की स्थापना की है। फिर भी, दो साल बाद, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने दिशानिर्देश जारी किए, जो सीमा पार बिजली व्यापार में संलग्न होने पर प्रमुख प्रतिबंध लगा सकते हैं।

2016 के दिशा-निर्देशों में रक्षात्मकता का एक मजबूत आधार था। जो दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के ऊर्जा क्षेत्रों में बढ़ते चीनी निवेश और प्रभाव की धारणाओं की प्रतिक्रिया के रूप में लग रहे थे।

कुछ अन्य कारक

इस दिशा-निर्देशों ने पड़ोसी देश में भारतीय जनरेटर, या देश की सरकार के स्वामित्व वाले जनरेटर के अलावा किसी को भी भारत को बिजली बेचने से रोका। विशाल भारतीय बाजार तक पहुंच को सीमित करने में, निर्यात के लिए निर्मित नेपाली जलविद्युत के लिए आर्थिक तर्क खो गया था। भूटान एक ऐसे खंड के बारे में चिंतित था जिसके लिए निर्यात करने वाली कंपनियों को भारतीय इकाई के स्वामित्व में बहुमत की आवश्यकता थी। इसने भारत और भूटान के बीच संयुक्त उद्यमों में घर्षण पैदा किया। भूटान भारत के मुख्य बिजली बाजारों तक सीमित पहुंच के कारण परेशान हो रहा था। बांग्लादेश को भारतीय क्षेत्र से होकर भूटान और नेपाल से आयात के साथ अपने बिजली संकट को आंशिक रूप से संबोधित करने का अवसर मिला था, लेकिन इस तरह के व्यापार पर भारत को असंगत नियंत्रण देकर दिशानिर्देशों ने इसे जटिल बना दिया। पड़ोसियों के दो साल के विरोध के बाद, नए दिशानिर्देश इन सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं और विद्युत व्यापार के शासन को कम प्रतिबंधात्मक स्वर में बहाल करते हैं।

एक बेहतर ग्रिड के लिए उपकरण

एक उदार व्यापार शासन भारत के राष्ट्रीय हित में है। जैसा कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के वर्चस्व वाले पावर ग्रिड में परिवर्तित होता है, क्षेत्रीय व्यापार ग्रिड स्थिरता को बनाए रखने में उपयोगी साबित हो सकता है। नवीनीकरण के लिए प्रमुख प्रतिबद्धताएँ, जो एक दशक के भीतर भारत की स्थापित शक्ति का आधा हिस्सा हो सकती हैं, ने ग्रिड को स्थिर करने के बारे में, अर्थात जब सूर्य अस्त या उन ऋतुओं में जब नवीकरणीय क्षमता कम होती है, न्यायोचित चिंताओं को प्रेरित किया है। उत्पादन के स्रोतों के एक विस्तृत पूल का दोहन, विशेष रूप से हिमालय से पनबिजली जो भारत द्वारा सूर्यास्त के बाद रोशनी और उपकरणों को चालू करने पर तुरंत बढ़ा देता है, एक हरियाली ग्रिड को प्राप्त करने में एक महत्त्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है। नेपाल और भूटान ने लंबे समय से माना है कि उनकी समृद्धि विशाल जलविद्युत भंडार के स्थायी उपयोग से जुड़ी है।

नए दिशानिर्देश एक सच्चे क्षेत्रीय बाजार के निर्माण की दिशा में एक प्रयोगात्मक कदम है, जिससे उपमहाद्वीप में विद्युत उत्पादक उपभोक्ता को कम लागत में हरित ऊर्जा देने में सक्षम हो सकेंगे। चूंकि इससे दक्षिण एशिया की कठिन सीमाएं नरम होंगी, इसलिए यह अनिवार्य रूप से एक राजनीतिक दृष्टिकोण भी है। नए दिशानिर्देश इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि पहली बार, वे त्रिपक्षीय व्यापार व्यवस्था की अनुमति देते हैं, जहां एक देश में उत्पन्न होने वाली बिजली को पड़ोसी क्षेत्र में एक-तिहाई में खपत किया जा सकेगा। यह जटिल, बहु-देशीय बाजार व्यवस्था के विकास की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। ऐसे बाजारों में क्षेत्रीय संस्थानों के निर्माण की आवश्यकता होती है जो राजनीति को आत्मसात करते हुए विद्युत व्यापार की तकनीकी का प्रबंधन करते हैं।

वर्तमान में, इस समारोह का प्रबंधन भारत द्वारा इसकी भौगोलिक केंद्रीयता और इसके घरेलू बिजली क्षेत्र का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं की तैयार उपलब्धता के कारण किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्षेत्रीय व्यापार बढ़ता है, तो साथ ही अनुभव भी बढ़ता है, दक्षिण एशियाई देशों को संयुक्त, स्वतंत्र क्षेत्रीय संस्थानों के निर्माण की आवश्यकता महसूस हो सकती है, जिसके लिए स्पष्ट और स्थिर नियमों का निर्माण करना होगा। इसे बनाने के लिए राजनीतिक दृष्टि - नए दिशानिर्देशों में महसूस किया गया है - इसे बनाए रखा जाना चाहिए।

GS World टीम...

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)

- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। इसकी स्थापना 8 दिसम्बर, 1985 को भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान द्वारा मिलकर की गई थी। 3 अप्रैल, 2007 में संघ में 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका आठवां सदस्य बन गया।
- सार्क दक्षिण एशियाई देशों तक ही सीमित है और आज कुल आठ देशों का सदस्य हो गया है, इसके अलावा कुछ अन्य देशों जैसे म्यांमार, जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण कोरिया, ईरान, मॉरीशस और यूरोपीय संघ को सार्क के पर्यवेक्षकों का दर्जा का भार दिया गया है। इनमें सबसे बड़ा देश भारत और सबसे छोटा देश मालदीव है।

सार्क की पृष्ठभूमि

- यह 1980 में वापस आ गया था, जब दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक सहयोग की अवधारणा को पहले सोचा था। बांग्लादेश के पूर्व अध्यक्ष जियाउर रहमान ने 2 मई, 1980 को सार्क के बारे में औपचारिक प्रस्ताव दिया था। ढाका और अफगानिस्तान में पहला सार्क शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। जो एकमात्र नया सम्मेलन है जो कि सार्क की स्थापना के बाद हुआ है।

- सार्क विश्व के 3%, दुनिया की जनसंख्या का 21% और 2015 तक की वैश्विक अर्थव्यवस्था का 9.12% समझौता करता है। संगठन विकास अर्थशास्त्र और क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। उसने 2006 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र (सेफ्टा) का शुभारंभ किया। इससे पहले 1995 में स्थापित इस एसएपीटीए से पहले सेफ्टा का मार्ग प्रशस्त हुआ था। सार्क संयुक्त राष्ट्र में एक पर्यवेक्षक के रूप में स्थायी राजनयिक संबंध रखता है और यूरोपीय संघ सहित बहुपक्षीय संस्थाओं के साथ संबंध विकसित करता है।

संगठन के उद्देश्य

- सार्क का मुख्य उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोक कल्याण के साथ-साथ लोगों के जीवन यापन के गुणवत्ता में सुधार लाना है।
- आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास जैसे क्षेत्र में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ उन्हें रहने और उन्हें अपनी क्षमता का अहसास दिलाकर उन्हें अवसर प्रदान करना है।
- दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और उन्हें मजबूती प्रदान करना।
- दक्षिण एशियाई लोगों में आपसी विश्वास को बढ़ाना और एक-दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए बढ़ावा प्रदान करना।
- आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, नस्लीय और वैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है।
- अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करना है।
- सार्क का लक्ष्य है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय संगठन के साथ मिलकर मद्द करे।
- दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग पर इस घोषणा को 1983 में नई दिल्ली में विदेश मंत्रियों द्वारा अपनाया गया। बैठक के दौरान मंत्रियों ने नौ सहमत क्षेत्रों, अर्थात् कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम, स्वास्थ्य और जनसंख्या क्रियाएँ, परिवहन, डाक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और खेल, कला और संस्कृति में एकीकृत कार्ययोजना (IPA) की शुरुआत की। सार्क का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्र का विकास करना है और साथ ही जनसंख्या और स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दों और परिवहन सुविधाओं के सुधार का समाधान करना है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. दक्षेस दक्षिण एशिया के आठ देशों का आर्थिक व राजनीतिक संगठन है।
   2. सार्क सदस्य राष्ट्रों में सबसे छोटा देश भूटान है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
   1. सार्क क्षेत्रीय संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों के लोक कल्याण के साथ-साथ लोगों के जीवन-यापन के गुणवत्ता में सुधार लाना है।
   2. सार्क राष्ट्रों का नवीनतम सदस्य अफगानिस्तान है जो 14वें शिखर सम्मेलन के द्वारा सदस्य बना।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया नया विद्युत दिशा-निर्देश न सिर्फ दक्षिण एशियाई बिजली व्यापार को प्रगतिशील दिशाओं में ले जाएगा अपितु भारत व पड़ोसी राष्ट्रों के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक महत्व को भी मजबूती प्रदान करेगा। इस संदर्भ में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए।

(250 शब्द)

नोट : 2 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।